विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

<u>प्रकरण क्रमांक L0025912</u>

मेसर्स फिनिक्स पोल्ट्री फार्म, — आवेदक
201/15, रतन कालोनी,
गोरखपुर, जबलपुर (म.प्र.) – 480887

विरूद्ध

अधीक्षण यंत्री (संधा./संचा.),
म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
जबलपुर (म.प्र.) – 482008

— अनावेदकगण

कार्यपालन यंत्री (संधा./संचा.),
म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
सिहोरा (म.प्र.) – 483225

आवेदक की ओर से श्री गौरव मिश्रा, अधिवक्ता तथा
हबीव खान, पी.आर.ओ. उपस्थित ।
अनावेदक की ओर से श्री नीरज गुप्ता, कार्यपालन यंत्री
तथा श्री एस.आर. पाल, कनिष्ठ यंत्री उपस्थित ।

आदेश

(आज दिनांक 19.11.2013 को पारित)

1. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, जबलपुर (जिसे आगे फोरम के नाम से संबोधित किया जावेगा) के शिकायत क्रमांक 206/12 मेसर्स फिनिक्स पोल्ट्री फार्म विरूद्ध अधीक्षण अभियंता तथा अन्य 2 में पारित आदेश दिनांक 31.07.2012 के विरूद्ध यह अभ्यावेदन आवेदक/उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत किया गया है ।

2. आवेदक उपभोक्ता ने फोरम के समक्ष इस आशय की शिकायत की थी कि दिनांक 13.04.2010 को अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी की ओर से उसे आडिट रिकवरी के आधार पर राशि जमा करने का आदेश दिया गया, जिसका जवाब उसकी ओर से प्रस्तुत किया गया तथा फोरम के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की गई । उसकी ओर से प्रस्तुत शिकायत क्रमांक 458/10 में फोरम ने दिनांक 29.11.10 को आदेश पारित किया । उक्त आदेश में अनुबंधित भार के संबंध में पृथक से कार्यवाही करने और आडिट राशि की औचित्य एवं वसूली हेतु पृथक से नियमानुसार कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया । उक्त निर्देश के पश्चात दिनांक 08.08.11 को आवेदक को पुनः रू. 1565440/– जमा करने का निर्देश अनावेदक की ओर से दिया गया है । अनावेदक उक्त राशि आवेदक उपभोक्ता से वसूल पाने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56 (2) के प्रावधानों के अनुसार दो वर्ष की कालावधि समाप्त होने के पश्चात देय राशि उपभोक्ता से वसूल नहीं की जा सकती है । आडिट रिकवरी वर्ष 99–2001 की अवधि से संबंधित थी और इस संबंध में उपभोक्ता से मांग सर्वप्रथम दिनांक 13.04.10 को की गई थी, अतः परिसीमा बाधित होने से अनावेदक उक्त राशि उपभोक्ता से वसूल पाने का अधिकारी नहीं है ।

3. फोरम ने यह पाया था कि विवादित राशि विद्युत अधिनियम 2003 के प्रभावशील होने के पूर्व की है, अतः भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधान तत्संबंध में लागू नहीं होते । भूतलक्ष्यी प्रभाव से अधिनियम के प्रावधान लागू न होने से धारा 56 (2) भारतीय विद्युत अधिनियम का कोई लाभ उपभोक्ता को प्राप्त नहीं होता है ।

4. फोरम के आदेश से असंतुष्ठ होकर उपभोक्ता ने यह अभ्यावेदन मुख्य रूप से इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि फोरम ने अनावेदक द्वारा बकाया राशि की मांग सर्वप्रथम दिनांक 29.10.2002 को किया जाना मानकर कार्यवाही की है, जबकि अनावेदक की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है, जिससे यह उपधारणा की जा सके कि अनावेदक ने प्रश्नगत बकाया राशि की मांग 29.10.2002 को की थी । फोरम ने इस तथ्य में भी विचार नहीं किया कि यदि भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56 (2) के प्रावधानों का लाभ उपभोक्ता को प्राप्त नहीं होता है तो तत्संबंध में भारतीय मर्यादा अधिनियम 1968 के प्रावधानों को ध्यान में रखा जाना चाहिए । उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कोई भी राशि 3 वर्ष की समय सीमा के बाद वसूल नहीं की जा सकती है ।

5. **विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या** :– प्रश्नगत राशि की वसूली की मांग समय बाह्य है तथा अनावेदक उपभोक्ता से उक्त राशि वसूल पाने का अधिकारी नहीं है ?

कारणों सहित आदेश इस प्रकार है :

6. आवेदक उपभोक्ता ने फोरम के समक्ष जो शिकायत की थी उसकी कण्डिका – 5 में उसने यह उल्लेख किया है कि ''आवेदक ने वर्ष 99–2001 की आडिट रिकवरी के अन्तर्गत प्रथम बार मांग दिनांक 13.04.10 को किया था अर्थात् लगभग 9 वर्ष पश्चात् एवं इस बीच आवेदक अपने समस्त विद्युत देयकों का नियमित भुगतान कर रहा था तथा अनावेदक पक्ष ने उक्त 9 – 10 वर्षों के बीच किसी भी प्रकार की मांग नहीं की थी, अतः प्रश्नगत राशि वसूली किए जाने योग्य नहीं है ।'' उपभोक्ता की ओर से वर्णित इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि उसने अनावेदक की ओर से जारी मांग पत्र का विरोध इस आधार पर किया है कि वर्ष 1999–2001 की अवधि में उसके द्वारा विद्युत ऊर्जा का जो उपयोग किया गया था उससे संबंधित राशि की मांग 9 वर्ष पश्चात नहीं की जा सकती है, क्योंकि भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56 (2) के प्रावधानों के अनुसार ऐसी राशि की मांग 2 वर्ष की समय अवधि व्यतीत होने के बाद नहीं की जा सकती है।

7. फोरम के आदेश का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि उपभोक्ता को जो मांग पत्र दिया गया था उसमें रू. 8.6 लाख की राशि वह राशि थी जो विद्युत ऊर्जा के उपयोग से संबंधित थी तथा रू. 5.5508 की राशि विद्युत के अप्राधिकृत उपयोग से संबंधित थी । विद्युत के अप्राधिकृत उपयोग से संबंधित राशि के संबंध में फोरम ने यह निष्कर्ष दिया था कि भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 लगात 135 के प्रावधानों के अनुसार इस राशि से संबंधित विवाद की सुनवाई का अधिकार फोरम को नहीं है ।

8. भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 लगात 135 के प्रावधानों का अवलोकन करने से यह तथ्य साबित है कि विद्युत ऊर्जा के अप्राधिकृत उपयोग संबंधी विवाद का निराकरण करने के लिए अधिनियम में पृथक से प्रावधान दिया गया है तथा ऐसे विवादों का निपटारा करने का अधिकार विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम को नहीं है, अतः फोरम के उक्त निष्कर्ष में हस्तक्षेप किए जाने का कोई आधार नहीं पाया जाता है ।

9. अब विवाद रू. 8.6 लाख से संबंधित राशि का शेष बचता है । यह राशि वह राशि है जिससे संबंधित विद्युत ऊर्जा का उपयोग उपभोक्ता द्वारा किए जाने पर विद्युत वितरण करने के लिए उत्तरदाई बोर्ड के अंतरिम अंकेक्षण दल द्वारा परीक्षण किए जाने पर यह पाया गया था कि विद्युत ऊर्जा के उपयोग का उपभोक्ता को जो देयक दिया गया था वह सही नहीं था, अतः उपभोक्ता से अतिरिक्त रूप से उक्त राशि वसूल किए जाने का निर्देश दिया गया था ऐसे निर्देशों के अनुसार उपभोक्ता को प्रश्नगत् देयक जारी किया गया था ।

10. फोरम के समक्ष उपभोक्ता ने जो शिकायत की थी उस शिकायत में अंकेक्षण दल द्वारा की गई निरीक्षण टीप के औचित्य को उसके द्वारा कोई चुनौती नहीं दी गई थी, अतः रिपोर्ट के औचित्य का परीक्षण फोरम द्वारा नहीं किया गया था ।

11. उपभोक्ता द्वारा प्रश्नगत् देयक को मात्र इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि उक्त देयक समय बाधित है तथा वर्ष 2010 के पूर्व उसे ऐसी राशि अदा करने का देयक जारी नहीं किया गया था ।

12. उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत अभ्यावेदन लंबित रहने के दौरान दिनांक 10.04.13 को अनावेदक से यह अपेक्षा की गई थी कि वह निम्नलिखित तथ्यों के संबध में तात्विक दस्तावेज प्रस्तुत करें :–

(1) आडिट कब की गई और आडिट संबंधी रिपोर्ट पहली बार कब विद्युत वितरण लाईसेंसी को प्राप्त हुई ?

(2) उक्त आडिट रिपोर्ट प्राप्त होने के कितने दिन बाद उपभोक्ता को राशि जमा करने का नोटिस दिया गया ? ।

13. अनावेदक की ओर से उक्त बिन्दुओं का उत्तर लिखित रूप से दिनांक 12.08.13 को प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार वर्ष 1999–2001 की अवधि की आडिट की गई रिपोर्ट गोसलपुर वितरण लाईसेंसी केन्द्र को दिनांक 10.04.2002 को प्राप्त हुई थी तथा दिनांक 29.10.2002 को उक्त राशि की वसूली हेतु मांग की गई थी ।

14. अनावेदक की ओर से प्रस्तुत उक्त जवाब का समर्थन उसकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों से प्राप्त होता है । उपभोक्ता की ओर से दिनांक 25.11.2002 को संभागीय अभियंता, सिहोरा जबलपुर के समक्ष उक्त आडिट रिकवरी के संबंध में लिखित आपत्ति प्रस्तुत की गई थी । उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत पत्र की छायाप्रति जिसे 'पताका – क' से चिन्हित किया जा रहा है उसमें दिनांक 29.10.2002 के पत्र का संदर्भ दिया गया है । उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत लिखित आपत्ति का अवलोकन करने से यह साबित होता है कि दिनांक 29.10.2002 को आडिट राशि की वसूली हेतु उसे मांग पत्र भेजा गया था तभी उसने ऐसी मांग के संबंध में लिखित आपत्ति प्रस्तुत की थी, क्योंकि यदि उसे मांग पत्र प्राप्त न होता तब वैसी स्थिति में उपभोक्ता द्वारा आपत्ति किए जाने का कोई औचित्य नहीं था ।

15. उपभोक्ता की ओर से दिनांक 12.08.13 को उक्त बिन्दुओं के संबंध में लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से उसने यह बताने का प्रयास किया है कि आडिट रिपोर्ट के संबंध में उपभोक्ता को कोई मांग पत्र जारी नहीं किया गया, क्योंकि उपभोक्ता की कोई अभिस्वीकृति अनावेदक की ओर से प्रस्तुत नहीं की गई है ।

16. दिनांक 29.10.12 को अनावेदक की ओर से आडिट राशि की वसूली हेतु उपभोक्ता को मांग पत्र भेजा गया था । इससे संबंधित लिखित प्रमाण यद्यपि अनावेदकगण की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है, परन्तु अनावेदकगण की ओर से ही प्रस्तुत दस्तावेज 'पताका – क' का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 25.11.2002 को उपभोक्ता ने अनावेदक के यहां लिखित आपत्ति प्रस्तुत की थी और ऐसी लिखित आपत्ति आडिट रिकवरी से संबंधित होना ही परिलक्षित होती है । अतः उपभोक्ता की ओर से वर्णित यह तथ्य खण्डित हो जाता है कि दिनांक 13.10.10 के पूर्व उसे अनावेदक की ओर से मांग पत्र नहीं भेजा गया था ।

17. आवेदक/उपभोक्ता की ओर से अपने समर्थन में न्याय–दृष्टांत, ग्वालियर (i) 2012 (1) M.P.L.J.]GWALIOR DISTI. LTD. vs M.P.M.K.V.V.CO.LTD. 69 प्रस्तुत किए हैं ।

उक्त न्याय दृष्टांत में वर्णित तथ्य इस मामले से इन अर्थों में भिन्न है कि प्रश्नगत मामले में सर्वप्रथम मांग भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 के प्रभावशील होने के बाद की गई थी, इसी कारण माननीय उच्च न्यायालय ने यह माना था कि धारा 56 (2) भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधान उपभोक्ता के लिए लागू होंगे, अतः उक्त न्याय दृष्टांत का कोई लाभ उपभोक्ता को प्राप्त नहीं होता है ।

18. इसके अतिरिक्त उपभोक्ता की ओर से निम्न न्याय–दृष्टांत प्रस्तुत किए हैं :–

(I) (1995) 5 Supreme Court Cases 5 (Before Faizan Uddin and S.B. Majmudar, JJ.)

(II) AIR 1990 SUPREME COURT 548 (From : 1975 All LJ 84)
K.N. Saikia and M. Fathima Beevi, JJ.

(III) (1999) 6 Supreme Court Cases 82 (Before S.Saghir Ahmad and R.P. Sethi, JJ.)

परन्तु उक्त मामले में वर्णित तथ्यों का कोई संबंध उपभोक्ता के प्रश्नगत मामले से होना प्रतीत नहीं होता है ।

19. उपभोक्ता से प्रश्नगत राशि की मांग दिनांक 29.10.2002 को की गई थी । उक्त राशि के संबंध में उपभोक्ता की ओर से लिखित आपत्ति भी उसी समय प्रस्तुत की गई थी । भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधान वर्ष 2002 में प्रभावशील नहीं थे, ऐसी स्थिति में जब राशि की मांग भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 के प्रभावशील होने के पहले कर दी गई थी तब उस स्थिति में भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56 (2) के प्रावधान प्रभावशील नहीं होंगे । यदि राशि की मांग 2002 में नहीं की जाती तथा ऐसी राशि की मांग भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 के प्रभावशील होने के बाद की जाती तब उस राशि के संबंध में धारा 56 (2) के प्रावधान प्रभावशील हो जाते । इस मामले में उपभोक्ता द्वारा वर्णित यह तथ्य खण्डित हो चुका है कि उससे प्रश्नगत राशि की मांग सर्वप्रथम 2010 में की गई थी, अतः फोरम ने प्रश्नगत राशि की

मांग 2002 में सर्वप्रथम किया जाना मानकर भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56 (2) के प्रावधानों का लाभ उपभोक्ता को प्राप्त नहीं होने का जो निष्कर्ष दिया है वह विधिसंगत प्रतीत होता है तथा फोरम के उक्त निष्कर्ष में हस्तक्षेप किए जाने का कोई आधार नहीं पाया जाता है ।

20. यहां इस तथ्य पर भी विचार किया जाना उचित होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों के प्रभावशील होने के पूर्व यदि उपभोक्ता को किसी देयक के संबंध में कोई आपत्ति थी तो उसे क्या उपचार उपलब्ध था ।

21. विद्युत अधिनियम 1910, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय एक्ट 1948 तथा तत्समय प्रवृत्त विद्युत संबंधी विधियों के इस तथ्य का कोई स्पष्ट प्रावधान होना परिलक्षित नहीं होता कि उपभोक्ता को ऐसी शिकायतों के संबंध में क्या उपचार उपलब्ध था तथा उसकी समय सीमा क्या थी, परन्तु जैसा कि इस मामले में पाया जाता है कि उपभोक्ता को यदि किसी देयक के संबंध में शिकायत थी तो वह संबंधित अधिकारी के समक्ष लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता था । इसके अतिरिक्त कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के प्रावधान तत्समय प्रभावशील थे और उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ता वांछित सहायता प्राप्त करने का आवेदन प्रस्तुत कर सकता था । इसके अतिरिक्त उपभोक्ता क्षेत्राधिकार रखने वाले सिविल न्यायालय के समक्ष भी ऐसा आवेदन प्रस्तुत करने में सक्षम था, परन्तु उपभोक्ता द्वारा वर्ष 2002 में मांग पत्र प्राप्त होने के बाद मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल के अधिकारियों के समक्ष लिखित आपत्ति प्रस्तुत करने के अतिरिक्त अन्य कोई कार्यवाही नहीं की गई थी । उपभोक्ता द्वारा इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं किया जाना इस तथ्य का परिचायक है कि प्रश्नगत मांग के संबंध में उसके तथा विद्युत मण्डल के बीच विवाद लंबित था और ऐसे विवाद का निपटारा 2010 तक न हो पाने के कारण अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी जिसे विद्युत मण्डल के अधिकार प्राप्त हुए थे, के द्वारा 2010 में प्रश्नगत देयक जारी किया गया था ।

22. उपरोक्त विवेचन से यह साबित होता है कि उपभोक्ता द्वारा प्रश्नगत देयक के गुण–दोषों पर कोई आपत्ति नहीं की गई है । उसके द्वारा की गई आपत्ति का मुख्य आधार यह है कि प्रश्नगत देयक समय बाहय है, जबकि ऐसा देयक समय बाहय जारी होना साबित नहीं होता है, अतः फोरम ने उपभोक्ता की शिकायत को निरस्त किए जाने का जो निष्कर्ष दिया है उस निष्कर्ष की पुष्टि की जाती है तथा उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत अभ्यावेदन निरस्त किया जाता है ।

24. आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदकगण की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल